

राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, डी-ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

फोन 0771 - 2222402, फैक्स 0771 - 2222409 ई-मेल : suda.mission@gmail.com

क्रमांक/9/सूडा/AMRUT/2016/4979

नया रायपुर दिनांक : 09/12/2016

—:: आदेश ::—

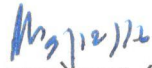
भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लागू मिशन अमृत (अटल शहरी नवीकरण एवं परिवर्तन मिशन) अंतर्गत न.नि. रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट हेतु निम्न तालिका में दर्शित अनुसार वाहन एवं उपकरण क्रय करने हेतु राज्य शासन के आदेश क्र. एफ 5-24/2016/18 दि 30.05.2016 के अनुक्रम में राशि रु. 66.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र	क्रय किये जाने हेतु उपकरणों का विवरण	संख्या	अनु. लागत (लाख में)
1	सक्शन कम जैटिंग मशीन, क्षमता 9000 लीटर	1	45.00
2	ट्रैक्टर	2	11.00
3	वैक्यूम इम्पटीयर/सक्शन मशीन क्षमता 3000 लीटर	2	10.00
कुल			66.00

नियम एवं शर्त :-

1. सामग्री क्रय हेतु छ.ग. भण्डार क्रय नियम 2002 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। उपरोक्त के अंतर्गत यदि सामग्री खुली निविदा द्वारा क्रय किया जाना अनुज्ञेय हो तो प्रत्येक उपकरण/उपस्कर/वाहन हेतु पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित की जावें, किंतु एक ही निविदा सूचना प्रकाशित की जावेगी।
2. परियोजना कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन प्रतिमाह एवं नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जाने वाले धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रति तिमाही अनिवार्य रूप से नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा नोडल एजेंसी को उपलब्ध कराया जावेगा। भारत सरकार से परियोजना की आगामी किश्तों को प्राप्त किये जाने यथा समय प्रस्ताव भेजा जाना नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
3. वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु एचपीएससी द्वारा स्वीकृत स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) में निहित वित्तीय प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निकाय अंश की राशि परियोजना में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

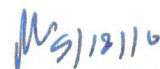
4. स्वीकृत कार्य नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
5. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना परियोजना में सारवान परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6. परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति तथा परियोजना में निहित कार्यों का संक्षिप्त विवरण महापौर परिषद तथा सामान्य सभा की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।
7. निविदाएं प्राप्त होने पर विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, प्रकरण छ.ग. कामकाज संचालन नियम 1998 के नियम 5 के उपनियम 2 के अंतर्गत निकाय की निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। निविदा समिति एवं निकाय के आयुक्त की अनुशंसा उपरान्त वित्तीय स्वीकृति हेतु राज्य शासन के आदेश क्र. एफ 05-190/18/05 दि. 05.11.14 तथा क्रमांक: 9136/4309/2016/18 दिनांक 07.12.2016 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. मिशन अमृत के दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जावे।


 मिशन डायरेक्टर (अमृत मिशन)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 राज्य शहरी विकास अभिकरण
 छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक/9/सूडा/AMRUT/2016/4980
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक : 09/12/2016

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन।
3. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. मिशन डायरेक्टर (अमृत मिशन) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय।
5. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग., नया रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला रायगढ़, छ.ग.।
8. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. मान. महापौर, नगर पालिक निगम, रायगढ़।
10. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़।
12. टीम लीडर, अमृत पीडीएमसी, छ.ग.।
13. टीम लीडर, अमृत एएमएमयू, छ.ग.।
14. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।


 मिशन डायरेक्टर (अमृत मिशन)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 राज्य शहरी विकास अभिकरण
 छत्तीसगढ़, रायपुर